न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

प्रार्थना पत्र संख्या – **54 / 2021**

ग्राम पंचायत तिलोरा जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत तिलोरा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

।। आदेश।।

दिनांक : 14.10.2021

तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर एवं ग्राम पंचायत तिलोरा की अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रस्ताव (तहसीलदार), अभिशंषा तहसीलदार पुष्कर एवं राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 में प्रदत निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम तिलोरा ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 98 रकबा 0.37 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी 2 एवं ग्राम पचांयत तिलोरा के आबादी खसरा नम्बर 1 / 2645 रकबा 0.80 है0 किस्म बारानी 3 में से मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया गया है। साथ ही तहसीलदार पुष्कर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम तिलोरा ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 98 रकबा 0.37 है0 किस्म बारानी 3 में से 1000 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी 3 में से 400 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी 2 में से 400 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी 2 में से 400 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1 / 2645 रकबा 0.80 है0 किस्म बारानी 3 में से 1600 वर्गमीटर कुल किता 05 कुल रकबा 3800 वर्गमीटर रास्ते का इन्द्राज तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रेषित नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकितानुसार (रास्ते की चौड़ाई [illegible] मीटर) को मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें में दर्ज करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:19 IST
Reason: SelfAttested

14.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)